

प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,  
परिषद से सम्बद्ध समस्त  
राजकीय / अनुदानित / निजी क्षेत्र  
की संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/अनु0-6/सैत्रिक अंक/जून -2024/3०1०

लखनऊ: दिनांक: 18/07/2024

विषय: परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 में सम्मिलित हो रहे समस्त पाठ्यक्रम के रजिस्टर्ड/रि-रजिस्टर्ड छात्र/छात्राओं के सैत्रिक/गेम्स/अनुशासन अंक ऑनलाइन भराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 में सम्मिलित हो रहे समस्त पाठ्यक्रम के रजिस्टर्ड/रि-रजिस्टर्ड छात्र/छात्राओं के सैत्रिक/गेम्स/अनुशासन अंक Student Centred Activities की सूचियों के प्रारूप संस्था लॉगिन पर निम्न विवरण के अनुसार प्रेषित किये जा रहे हैं।

1. सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा, जून 2024 से सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर के पंजीकृत रजिस्टर्ड/रि-रजिस्टर्ड छात्र/छात्राओं के सैत्रिक/गेम्स/अनुशासन अंकों/SCA अंकों की सूचियाँ, परिषद की वेबसाइट **bteup.ac.in** पर उपलब्ध संस्था लॉगिन पर दिनांक 19/07/2024 से उपलब्ध कराई जा रही है।
2. सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा, जून 2024 से सम्बन्धित सैत्रिक, गेम्स एवं अनुशासन अंक/SCA की सूचियों में अंकों की प्रविष्टि ऑनलाइन किया जाना है, ऑनलाइन सैत्रिक, गेम्स एवं अनुशासन अंक/SCA अंकों की प्रविष्टि कराये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 28/07/2024 तक निर्धारित है।

● ऑनलाइन सैत्रिक अंक भरे जाने सम्बन्धी निर्देश:-

1. संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की सूची Select Trade के अन्तर्गत लिस्ट में प्रदर्शित होगी।
2. Trade Code के चयन के बाद Academic Semester को Select करना होगा, जिसमें Academic Semester का Semester Code प्रदर्शित होगा।
3. Academic Semester के Selection के बाद Paper वाले Box में Sessional, Games एवं Discipline/SCA अंकों का चयन करना होगा तदपश्चात Entry Marks के बटन को Click करना होगा, जिससे चयनित ब्रांच के चयनित सेमेस्टर के चयनित विषय से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें Marks Obtained के कालम में छात्र/छात्रा के अंकों की प्रविष्टि करनी होगी। सम्पूर्ण सूची में अंकों की प्रविष्टि किये जाने के पश्चात "Save" Button के माध्यम से भरा हुआ डेटा सेव होगा।
4. ऑनलाइन भरे गये सैत्रिक, गेम्स एवं अनुशासन अंकों/SCA अंकों को भरने के पश्चात सम सेमेस्टर पद्धति के समस्त ब्रांच एवं वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम की सूचियों का प्रिंट निकाल लें तथा समस्त सूचियों के प्रत्येक पृष्ठ पर विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक हस्ताक्षर करके संस्था की मुहर लगाकर सॉफ्टकॉपी (पी0डी0एफ0 में एवं फाइल नेम संस्था कोड के साथ अनिवार्य रूप से) परिषद की ई0मेल0 upbteanu6@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सैत्रिक/गेम्स/अनुशासन अंक/SCA अंक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश:-

1. सम सेमेस्टर पद्धति एवं वार्षिक पद्धति के समस्त रजिस्टर्ड/रि-रजिस्टर्ड छात्र/छात्राओं के सैत्रिक अंक उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) प्रथम संशोधन विनियमावली- 2016 के विनियम - 18 के प्रतिस्थापित उपबन्धों में वर्णित प्राविधान के अनुसार प्रदान किये जायेंगे।
2. समस्त लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के सभी विषयों के सैत्रिक अंकों का योग कोड - 51 में गेम्स के अंक कोड - 52 में तथा अनुशासन के अंक कोड - 53 में भरे जायेंगे एवं NSQF पाठ्यचर्या वाले पाठ्यक्रम में SCA अंक 52 में भरा जायेगा।
3. किसी भी छात्र/छात्रा को यदि 90% से अधिक सैत्रिक अंक प्रदान किये जाते हैं तो ऐसे छात्र/छात्रा की मासिक परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रतियाँ एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रति सैत्रिक अंक सूची के साथ संलग्न कर परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाये। यह भी अवगत कराना है कि परिषद विनियमावली "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा प्रदान किया जाना) प्रथम संशोधन) विनियमावली 2016 के विनियम 26 के स्तम्भ-2 में एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम (4) के अनुसार "यह कि संस्था द्वारा एक बार संसूचित और परिषद द्वारा स्वीकार किये गये आंतरिक निर्धारण अंकों (सेशनल, खेलकूल, अनुशासन) में परिणामों की घोषणा के पश्चात परिवर्तन नहीं किया जायेगा" के अन्तर्गत आप द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि कराये गये एवं परिषद को प्रेषित किये गये सैत्रिक अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत किया जाना नियम विरुद्ध है। अतः सैत्रिक आदि अंक सूचियों में अंकों की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक की जाये।

आप भली-भांति सुनिश्चित कर लें कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित कराये गये छात्र/छात्राओं द्वारा चयनित किये गये विषयों का अंकन उक्त सूची में हो गया है। आप द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि कराये गये सैत्रिक अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होगा। यदि इस स्थिति में संस्था का कोई छात्र/छात्रा सैत्रिक अंक प्रदान न किये जाने से वंचित रह जाता है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

नोट:- यहाँ यह भी अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा-जून 2024 में सम्मिलित कराये गये छात्र/छात्राओं के प्रथम/द्वितीय वर्ष (सेमेस्ट पद्धति) कैरी ओवर अंकों की प्रविष्टि नियमानुसार प्रथम वर्ष कैरी ओवर 30% एवं द्वितीय वर्ष कैरी ओवर 70% के साथ परिषद द्वारा स्वतः परीक्षा परिणाम में अंकित कराई जायेगी। अतः यह विकल्प चयनित विषयों की सूचियों से हटा दिया गया है।

5. अस्तु आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा, जून 2024 में सम्मिलित हो रहे समस्त छात्र/छात्राओं के सैत्रिक, गेम्स एवं अनुशासन अंकों/SCA अंकों की सूचियों में सावधानी पूर्वक अंकों की प्रविष्टि दिनांक 28/07/2024 तक करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी दशा में परिषद द्वारा तिथि विस्तारित नहीं की जायेगी। उक्त सैत्रिक अंकों की सॉफ्टकॉपी (पी0डी0एफ0 में एवं फाइल नेम संस्था कोड के साथ अनिवार्य रूप से) परिषद की ई0मेल0 [upbteanu6@gmail.com](mailto:upbteanu6@gmail.com) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं हार्डकापी संस्थाएँ दो वर्षों तक अपने पास सुरक्षित रखेंगी, ताकि भविष्य में किसी भी विषम परिस्थित में संस्था द्वारा हार्डकापी उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)  
सचिव।

तददिनांक: 18/07/2024

पृ0सं0: प्राशिप/अनु0-6/सैत्रिक अंक/जून-2024/3011-13  
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार

समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं उक्त सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

